

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2010

सं. 53/2010-आय-कर

का.आ. 1666(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा आयकर नियमावली, 1962 के नियम 2ग के उप-नियम (2) के साथ पठित आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23ग) के उप-खण्ड (vi) तथा (viक) में निहित प्रावधानों के अनुसरण में, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना संख्या का.आ. 852(अ) दिनांक 30 मई, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः :-

उक्त अधिसूचना में, मद (iv) के लिए, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किए जाएंगे, नामतः :-

“(iv) आयकर निदेशक (छूट) हैदराबाद, के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों के लिए मुख्य आयकर आयुक्त, हैदराबाद-III, हैदराबाद, विहित प्राधिकारी होंगे।”

[फा. सं. 197/15/2010-आ.क.नि.-I]

पदम सिंह, अवर सचिव (आ.क.नि.-I)

टिप्पणी :-प्रधान अधिसूचना भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में संख्या का.आ. 852(अ), दिनांक 30 मई, 2007 के तहत प्रकाशित की गई थी।